# **SOUTH CENTRAL RAILWAY SC DIVISION - ALERT ADVICE No. 03/2025**

Date: 05.03.2025

No.sfy-12/SC/AA-03/2025

Sub: Joint Procedural Order for Disconnection/Reconnection of S&T gears.

Ref: RB Letter No.2023/TT-IV/9/2 dated 16.06.2023

Joint Procedural Order - Disconnection/Reconnection Protocols for S&T Gears: As noticed by ED/Safety(Traffic)/RB during inspection at SC station on 21.02.2025, the correspondence test of the gear disconnected not being written in relevant records, prior to acceptance of reconnection by SM at many stations. In view of the above, the Railway Board letter cited above should be scrupulously followed when S&T gears are disconnected /reconnected under provisions of IRSEM and GR for maintenance/ repairs or attending signal failures or otherwise.

#### 1. Locking arrangement of relay rooms:

- 1.1 Relay room should be provided with double locks and door opening shall be monitored through data logger as per Para no.21.2.2 of IRSEM. This includes provision of double locks at relay rooms for housing signalling gears in station yard.
- 1.2 Double locking arrangement should be provided at all level crossing gate relay huts/goomties within station limit housing S & T equipments of LC gates and point/track circuit signals.
- 1.3 Gate Goomty/cabin housing S&T equipments in station yard should be treated as relay hut.
- 1.4 Till double locking arrangement is provided, key of single lock of relay huts/goomties/cabins should be with Station Master (SM). The relevant entries regarding issue and deposit of the key should be maintained by SM in the same manner as being done for station relay room. The proforma for handing over/taking back of the key by the SM on duty shall have a column specifying that the location for which key had been taken by maintenance staff has been properly closed and locked, by the maintenance staff who is returning the key.
- 1.5 Locks of genuine reputed make/Digital locks should be provided as necessary

#### 2.0 Disconnection / reconnection of signaling equipment:

- 2.1 Proper disconnection/ reconnection protocols should be followed for signal maintenance, repairs/alteration works as per provisions contained in IRSEM and GR by authorized personnel with valid competency certificate.
- 2.2 When disconnection is permitted by SM for undertaking maintenance and repairs, it should be on proper disconnection/reconnection notice form as prescribed in Annexure 3-A10of para 3.8.4(b) of IRSEM.
- 2.3 After completion of work, prior to acceptance of reconnection by SM, the correspondence test of the gear disconnected should be done. Thereafter, the first train to pass on main line should be dealt as under:
  - a) The reception of the first train should not be on green aspect of first stop signal.

- b) The departure signal for run through trains should be taken off once the train has occupied the berthing portion by seeing the relevant indications on panel/VDU.
- c) This should be applicable for all Up & Down direction trains.
- d) Exception to these instructions will be in case of stations where reception or reception & departure signals are kept in off position to avoid stalling of loads due to rising gradients or site conditions. Necessary instructions may be incorporated in working rules to admit these trains in to yard at restricted speed by keeping the departure signals at ON.
- 2.4 Circuit alteration works, where change in existing wiring is to be carried out in relay rooms, should be done during traffic block/non-interlocking only. Detailed modalities regarding the same may be issued by PCOM and PCSTE jointly.
- 2.5 The status of disconnection/ reconnection of gears should be reconciled in divisional control office by signal control & Traffic control on daily basis jointly and may be confirmed from data logger if necessary.
- 3.0 Immediately, joint counselling by Traffic inspector and SSE/signal should be undertaken to sensitize all connected staff with panel/VDU working including issue of fresh panel competency certificate. The counseling / recertification should be completed within next 15 days.
- 4.0 The list of relay huts where LC gate and points /signals are in the same relay hut/goomty should be issued at Divisional level by Sr. DSTE & Sr.DOM and brought to the notice of all for implementation on the division. Any new addition / deletion of location shall be updated by Sr. DSTE and notified for field supervisors by Sr. DSTE and Sr.DOM jointly.

The above instructions may be given wide publicity and counsel the staff accordingly, to avoid incidences causing serious repercussions to travelling public and in train operations. Hence, every effort to be made to avoid unusual incidences.

र्ए. सुरेश] वरि. मंसंधि/सिकं [A. Suresh] Sr. DSO/SC

Copy:DRM/SC for kind information.

ADRM/O and ADRM/I for kind information.

S&T and Optg Branch Officers for information and necessary action pl.

All Field Supervisors for information and necessary follow up action.

## <u>दक्षिण मध्य रेलवे</u> सिकंदराबाद मंडल – चेतावनी सूचना सं. 03/2025

सं.sfy-12/SC/AA-03/2025

दिनांक: 05.03.2025

विषय: सि व दू गियर के डिस्कनेक्शन/पुनः कनेक्शन के लिए संयुक्त क्रियाविधि आदेश.

संदर्भ: रेलवे बोर्ड के दि. 16.06.2023 का पत्र सं.2023/TT-IV/9/2.

सि व दू गियरों के लिए संयुक्त क्रियाविधि आदेश – डिस्कनेक्शन/पुनःकनेक्शन प्रोटोकॉल्सः जैसा कि दि. 21.02.2025 को सिकंदराबाद स्टेशन पर निरीक्षण के दौरान कार्यकारी निदेशक/संरक्षा (यातायात)/रेलवे वोई द्वारा देखा गया कि कई स्टेशनों पर स्टेशन मास्टर द्वारा पुनःकनेक्शन की स्वीकृति से पहले, डिस्कनेक्ट किए गए गियर के तदनुरूपी टेस्ट को संबंधित रिकार्डों में नहीं लिखा जा रहा है. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, संदर्भाधीन रखरखाव/मरम्मत या सिगनल खरावियों को दूर करने या अन्यथा आईआरएसईएम और सा.नि. के प्रावधानों के अंतर्गत सि व दू गियर को डिस्कनेक्ट/पुनः कनेक्ट करते समय उपर्युक्त संदर्भाधीन रेलवे बोर्ड के पत्र का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए.

### 1. रिले रूम की लॉर्किंग व्यवस्था:

- 1.1 रिले रूम में डबल लॉक की व्यवस्था होनी चाहिए तथा दरवाज़ा खुलने की मानीटरी डाटा लॉगर के माध्यम से की जानी चाहिए, जैसा कि आईआरएसईएम के पैरा संख्या 21.2.2 के अनुसार किया जाना चाहिए. इसमें स्टेशन यार्ड में सिगनलिंग गियर रखने के लिए रिले रूम में डबल लॉक की व्यवस्था शामिल है.
- 1.2 स्टेशन सीमा के भीतर सभी समपार फाटक रिले हट्स/गुमिटयों पर डबल लॉकिंग व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें समपार फाटक और पाइंट/रेलपथ परिपथ सिगनल के सि व दू उपकरण रखे जाएं.
- 1.3 स्टेशन यार्ड में फाटक गुमटी/कैबिन हाउज़िंग सि व दू उपस्करों को रिले हट के रूप में माना जाना चाहिए.
- 1.4 डबल लॉकिंग की व्यवस्था किए जाने तक, रिले हट/गुमिटियों/कैबिनों के सिंगल लॉक की चावी को स्टेशन मास्टर (स्टेमा) के पास होना चाहिए. चाबी जारी करने और जमा करने से संबंधित प्रविष्टियां स्टेशन मास्टर द्वारा उसी तरह की जानी चाहिए जैसे स्टेशन रिले रूम के लिए की जाती हैं. ड्यूटी स्टेशन मास्टर द्वारा चाबी सौंपने/वापस लेने के प्रोफ़ॉर्मा में एक कॉलम होना चाहिए जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया हो कि जिस स्थान के लिए रखरखाव कर्मचारियों द्वारा चाबी ली गई थी, उसे रखरखाव कर्मचारियों द्वारा ठीक से बंद और लॉक किया गया है, जो चाबी वापस कर रहा है.
- 1.5 आवश्यकतानुसार वास्तविक प्रतिष्ठित ब्रांड के ताले/डिजिटल ताले उपलब्ध कराए जाने चाहिए.
- 2.0 सिगनलिंग उपस्कर का डिस्कनेक्शन/पुनःकनेक्शन:
- 2.1 वैध सक्षमता प्रमाण पत्र के साथ अधिकृत कर्मचारियों द्वारा आईआरएसईएम और सा.नि. में निहित प्रावधानों के अनुसार सिगनल अनुरक्षण, मरम्मत/परिवर्तन कार्यों के लिए उचित डिस्कनेक्शन/पुनः कनेक्शन प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए.
- 2.2 जब अनुरक्षण और मरम्मत कार्य करने के लिए स्टेशन मास्टर द्वारा डिस्कनेक्शन की अनुमित दी जाती है, तो वह आईआरएसईएम के पैरा 3.8.4(वी) के अनुलग्नक 3-A10 में निर्धारित किए गए अनुसार उचित डिस्कनेक्शन/पुनःकनेक्शन नोटिस फॉर्म में होना चाहिए.
- 2.3 कार्य समापन के बाद, स्टेशन मास्टर द्वारा पुनःकनेक्शन की स्वीकृति से पहले, डिस्कनेक्ट किए गए गियर की तदनुरूपी टेस्ट की जानी चाहिए. उसके बाद, मेन लाइन पर से गुज़रनेवाली पहली गाड़ी को निम्नानुसार लिया या भेजा जाएः
  - a) पहली गाड़ी का आगमन पहले स्टॉप सिगनल के हरे पहलु पर नहीं होना चाहिए.
  - b) सीधी जानेवाली गाड़ियों के लिए प्रस्थान सिगनल को, बर्थिंग हिस्से को गाड़ी द्वारा ऑक्युपाय करने पर, पैनल/वीडीयू पर संबंधित संकेतों को देखकर ऑफ किया जाना चाहिए.
  - c) यह सभी अप व डाउन दिशा की गाड़ियों के लिए लागू होना चाहिए.

- d) इन निर्देशों का अपवाद उन स्टेशनों के मामले में होगा जहाँ बढ़ते ग्रेडिएंट या साइट की स्थितियों के कारण लोड के रुकने से बचने के लिए रिसेप्शन या रिसेप्शन और प्रस्थान सिगनल को बंद स्थिति में रखा जाता है. प्रस्थान सिगनल को ऑन में रखते हुए इन गाड़ियों को प्रतिबंधित गति से यार्ड में प्रवेश देने के लिए आवश्यक निर्देश संचालन नियमों में शामिल किए जा सकते हैं.
- 2.4 परिपथ परिवर्तन कार्य, जहां रिले रूम में वर्तमान वायरिंग में परिवर्तन किया जाना है, उसे केवल यातायात व्लॉक/गैर-अंतर्पाशन के दौरान ही किया जाना चाहिए. इसके बारे में विस्तृत तरीके प्रमुपरिप्र और प्रमुसिवदूइंजी द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए जा सकते हैं.
- 2.5 गियरों के डिस्कनेक्शन/पुन:कनेक्शन की स्थिति का मिलान सिगनल नियंत्रण एवं यातायात नियंत्रण द्वारा संयुक्त रूप से दैनिक आधार पर मंडल नियंत्रण कार्यालय में किया जाना चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो डाटा लॉगर से इसकी पृष्टि की जा सकती है.
- 3.0 तत्काल, यातायात निरीक्षक और एसएसई/सिगनल द्वारा पैनल/वीडीयू से जुड़े सभी कर्मचारियों को संवेदनशील वनाने के लिए संयुक्त काउंसलिंग की जानी चाहिए, जिसमें नए पैनल योग्यता प्रमाण पत्र जारी करना भी शामिल है. काउंसलिंग/पुनः प्रमाणन अगले 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए.
- 4.0 रिले हट्स की सूची, जहाँ समपार फाटक और पाइंट/सिगनल एक ही रिले हट/गुमटी में हैं, को वमंसिवदूइंजी और वमंपरिप्र द्वारा मंडल स्तर पर जारी किया जाना चाहिए और मंडल पर कार्यान्वयन के लिए सभी के ध्यान में लाया जाना चाहिए, किसी भी नए स्थान को जोड़ने/हटाने को वमंसिवदूइंजी द्वारा अपडेट किया जाएगा और वमंसिवदूइंजी और वमंपरिप्र द्वारा संयुक्त रूप से फील्ड पर्वेक्षकों के लिए अधिसूचित किया जाएगा.

उपर्युक्त अनुदेशों का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए और कर्मचारियों को तदनुसार परामर्श दिया जाना चाहिए, ताकि यात्रा करनेवाले लोगों और गाड़ी प्रचालनों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाली घटनाओं से बचा जा सके. अतः असामान्य घटनाओं से वचने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए.

> [ए. सुरेश] वमंसंधि/सिकं

प्रतिलिपि: मंरेप्र/सिकंदराबाद को सूचनार्थ. अमंरेप्र/पिर और अमंरेप्र/इन्फ्रा को सूचनार्थ. सि व दू और परिचालन शाखा अधिकारियों को सूचना व आवश्यक कार्रवाई के लिए. सभी फील्ड पर्यवेक्षकों को सूचना तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए.